न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 43 आर 15/07–08

इदनी खातुन — अपीलकर्त्ता

बनाम

बिरसा उरॉव वगैरह — प्रतिवादी

आदेश

8
30.01.2008

यह अपील एस ए आर वाद संख्या 36/05–06 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 23.7.2007 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा
चंदवे	23	126	4 डिसमिल

अपील आवेदन में कहा गया है कि विवादित जमीन पूर्व में बिगा उरॉव पिता मन्नु उरॉव वो समुंदरी देवी पति राजेन उरॉव की थी। उन्होंने अमीर अली के साथ मौखिक बंदोबस्ती किया था जिसकी सम्पुष्टि 15.1.1952 को हुकुमनामा द्वारा की गयी। 1954 में पक्का मकान बनाया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा दाखिल जवाब एवं अपील आवेदन के तथ्यों में काफी भिन्नता है।

वर्तमान अभिलेख, निम्न न्यायालय अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों से यह स्पष्ट है कि विवादित जमीन आदिवासी खाते की है। निम्न न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारा जवाब दिया गया कि विवादित जमीन पुसो उराइन पिता स्व0 शनिचावा उरॉव ने निबंधित वसीका संख्या 11773 दिनांक 6.11.92 द्वारा खरीदा था। इसके लिए वाद

संख्या 450 आर 8II / 92–93 दिनांक 13.10.92 से अनुमति प्राप्त की गयी थी। अमीर अली पुसो देवी के एकमात्र संतान हैं। इसके विपरीत वर्तमान अपील आवेदन में विवादित जमीन हुकुमनामा से 1952 में प्राप्त होने की बात कही गयी है। इस प्रकार वर्तमान अपील में अपीलकर्ता के दावे में निम्न न्यायालय से भिन्नता है। अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत नये तर्क से यह प्रमाणित होता है कि नई कहानी बनाकर अपीलकर्ता भूमि को हड़पना चाहते हैं।

अतः अपील अस्वीकृत किया जाता है। दखल देहानी हेतु अंचल अधिकारी, कॉके को निर्देश भेजें।

दिनांकः–30.01.2008

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता,
रॉची।